

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय सहायक अभियंता (),

क्रमांक : जेपीडी/स.अ./प्रे.

दिनांक :-

नोटिस

प्रेषित,

श्री पुत्र श्री
ग्राम तहसील जिला
उपभोक्ता खाता सं. / गैर उपभोक्ता, वीसीआर नं. व दिनांक
जांच अधिकारी :- अधिशाषी/सहायक/कनिष्ठ अभियंता ()/ज.वि.वि.नि.लि.,

आपके स्थित कृषि/घरेलू/औद्योगिक/व्यावसायिक परिसर में
दिनांक को सतर्कता जांच करने पर आपके द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के
अंतर्गत निम्नांकित अपराध करना पाया गया :-

- (i) बिना वैद्य कनेक्शन के विद्युत का अनाधिकृत उपयोग
- (ii) मीटर से छेड़छाड़ कर, विद्युत का अनाधिकृत उपयोग
- (iii) मीटर केबिल/ट्रांसफार्मर से छेड़छाड़ व उसको नुकसान पहुंचाकर, मीटरिंग को बाधित करना।
- (iv) अन्य :-
इस संबंध में :-

(1) सतर्कता जांच प्रतिवेदन संख्या दिनांक तैयार किया गया, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

(2) उक्त सतर्कता जांच प्रतिवेदन में किये गये राजस्व निर्धारण की राशि रूपये
(कमपाउण्डिंग राशि रु. एवं सिविल लायबिलिटी राशि रु.) इस नोटिस की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में इस कार्यालय में जमा करवायें,
या
पहले भी आपको नोटिस क्र. दिनांक द्वारा निर्धारण राशि रु.
जमा करवाने हेतु सूचित किया गया था, किन्तु आप द्वारा अभी तक उक्त राशि जमा नहीं करवायी गयी है।

(3) निगम द्वारा दिनांक 30.06.2016 तक की लम्बित वीसीआरस् के अन्तिम निस्तारण हेतु एक योजना लागू की गयी है, जिसके अंतर्गत आपको उक्त सतर्कता प्रतिवेदन के राजस्व निर्धारण की राशि जमा करवाने हेतु एक अंतिम अवसर दिया जाता है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वीसीआर के विरुद्ध निम्नांकित राशि (कमपाउण्डिंग राशि रु. एवं सिविल लायबिलिटी राशि रु.) है। यदि वी.सी.आर. की सिविल लायबिलिटी एवं कम्पाउण्डिंग राशि का निर्धारण रु. 50 हजार तक है तो निर्धारित राजस्व निर्धारण राशि का 50 प्रतिशत (रु.) एवं यदि लम्बित वी.सी.आर. की सिविल लायबिलिटी एवं कम्पाउण्डिंग राशि का निर्धारण 50 हजार रु से अधिक है तो 25 हजार रु. एवं 50 हजार से अधिक राशि का 10 प्रतिशत तक (रु.) इस नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में इस कार्यालय में जमा करवाकर आप अपना अपने प्रकरण का अन्तिम निस्तारण करवा सकते हैं, अन्यथा आपके विरुद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार विधिक कार्यवाही की जावेगी।

सहायक अभियंता ()
ज.वि.वि.नि.लि.,

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता (), जयपुर डिस्कॉम, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक अभियंता ()
ज.वि.वि.नि.लि.,

POSITION OF ASSESSMENT/REALIZATION OF PENDING VCRs PRIOR TO 30-06-2016

NAME OF CIRCLE :- _____

S N	Na me of s/d.	No. of pending VCRs			CASES WHERE ASSESSMENT MADE IN VCRs AGAINST COLUMN NO. 3 (CIVIL LIABILITY + COMPOUNDING)						Cases in which assessment not made against column No. 3	REALIZATION IN THE CASES AGAINST COLUMN NO. 4 (AFTER 01-05-2016)						PENDING CASES FOR REALIZATION Column (4-6)					
		Therit	Misuse/ others	Total	Cases upto Rs. 50,000 No.	Amount (in lacs) a	Cases above Rs. 50,000 No.	Amount (in lacs) b	Total No.	Amount (in lacs) c		Cases upto Rs. 50,000 No.	Amount (in lacs) d	Cases above Rs. 50,000 No.	Amount (in lacs) e	Total Amount (in lacs) f	Cases upto Rs. 50,000 No.	Amount (in lacs) g	Cases above Rs. 50,000 No.	Amount (in lacs) h	Total Amount (in lacs) i	Cases upto Rs. 50,000 No.	Amount (in lacs) j
1	2	3			4						5	6						7					